बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक– 23/11/2023

सं0–03/योजना–02/2023/परि0–8803 राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" लागू की जाती है।

1. **संक्षिप्त नाम, आरंभ एवं विस्तार। –**

(i) योजना का नाम– "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" होगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस 5,00,000/– (पाँच लाख) रू0 अनुदान का भुगतान किया जाएगा। जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। सात लाभुकों में:–

(i) दो अनुसूचित जाति वर्ग से

(ii) दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से

(iii) एक पिछड़ा वर्ग से

(iv) एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे।

(v) एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे, जो उपर्युक्त किसी कोटि में नहीं आते हों।

3. वाहन को पाँच वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा। बस पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगा। यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर किया गया है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा।

4. लाभुक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। उसे सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे।

5. योजना के तहत आवेदन ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, जिस हेतु लिंक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आवेदक को आवेदन के साथ निम्न कागजात उपलब्ध कराने होंगे:–

(क) जाति प्रमाण–पत्र,

(ख) आवासीय प्रमाण–पत्र,

(ग) मैट्रिक योग्यता का प्रमाण–पत्र,

(घ) आधार कार्ड,

(ड़) चालन अनुज्ञप्ति।

प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन के लिए एक यूनिक नंबर system द्वारा generate किया जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा पावती रसीद के रूप में भविष्य के पत्राचार हेतु रखा जाएगा।

6. योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड कर प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। वरीयता का आधार निम्न होगा:–

(क) मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक।

(ख) समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

(ग) तैयार वरीयता सूची के आधार पर लाभुक का चयन निम्न चयन समिति के द्वारा किया जाएगा:–

(a) जिला पदाधिकारी– अध्यक्ष।
(b) उप विकास आयुक्त– सदस्य।
(c) जिला परिवहन पदाधिकारी– सदस्य सचिव।

(घ) रिक्ति एवं योग्यता के अनुसार प्रखंडवार लाभुक के चयन की स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनायी जाएगी। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय–सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। उपर्युक्त समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।

7. चयनित आवेदकों द्वारा स्वेच्छा से बस का क्रय किया जाएगा। वाहन क्रय के पश्चात् वाहन क्रय से संबंधित कागजात एवं अन्य वांछित कागजात के साथ लाभुक द्वारा अनुदान हेतु जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

8. आवश्यक जाँचोंपरांत जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में राशि अंतरित की जाएगी।

9. योजना के अन्तर्गत राशि का प्रावधान परिवहन विभाग के योजना मद से किया जाएगा। इस हेतु परिवहन विभाग द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को योजना मद में आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।

10. योजना के तहत क्रय वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत किया जाएगा।

11. योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर विशेष सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

12. विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक पारदर्शी मार्गदर्शिका निर्गत करेगा। योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक किया जाएगा। योजना की अवधि विस्तार की आवश्यकता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात् ही अवधि विस्तार किया जा सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी।

13. अनुषंगी विषयों पर परिवहन विभाग अपने स्तर से निर्णय लेते हुए निदेश जारी कर सकेगा। विभिन्न मामलों में अनुदान भुगतान की प्रक्रिया (Process) के संबंध में विभाग स्तर से दिशा–निर्देश जारी किए जाएँगे। इस योजना की कंडिका के विवेचन हेतु परिवहन विभाग, बिहार सक्षम प्राधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर)

(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–03/योजना–02/2023/परि0–8803 **पटना, दिनांक–**23/11/2023

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना(द्वारा सयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना)को सी0 डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के सचिव।

3 C:\Users\DELL\Desktop\MMPPY\MMPPY 2.0\Adhisuchna.docx

ज्ञापांक–03 / योजना -02 / 2023 / परि0–8803 पटना, दिनांक 23/11/2023

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना / सचिव के आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव / विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।